न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/17/2024	2024/29	20.05.2024	05.08.2024

1.भौम सिंह पुत्र मवासी जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर।

2.देवीराम पुत्र मवासी जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर।

3.रामकिशन पुत्र मवासी जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1.सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनाक 15.04.2024 प्रकरण संख्या 06/2024 न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर अपीलाण्ट को अतिचारी घोषित कर शास्ति आरोपित घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है। बमुराद मंसुखी उपरोक्त निर्णय तथा स्वीकार किये जाने अपील अपीलाण्ट।

उपस्थितः—

01.श्री रामनिवास सैनी —वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनाक 15.04.2024 प्रकरण संख्या 06/2024 न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय दिनाक 15.04.2024 की जानकारी अपीलाण्टस को नही थी इसलिए अपील समयावधि में पेश नही की जा सकी जिसमें अपीलाण्टस की कोई लापरवाही नही रही है। दिनाक 15.05.2024 को अपीलाण्टस के पास एक पुलिस कर्मा आया जिसने जबरन अपीलाण्टस को उनकी आराजी से वेदखल करने की जानकारी दी इस पर अपीलाण्टस तहत अदालत मे जाकर जानकारी की और दिनाक 15.05.2024 को आलोच्य निर्णय की नकल प्राप्त करने के लिए नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनाक 16.05.2024 को प्राप्त हुई तारीख जानकारी से और तहत अदालत से नकल प्राप्त करने से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई हैं वह उक्त कारण से हुई हैं जो नेक नियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अलग से पेश है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। कि पटवारी हल्का रामबास द्वारा तहत अदालत में अपीलाण्ट के खिलाफ एक रिर्पोट इस आश्य की पेश की कि सम्वत् 2080 में ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मूण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ के खसरा नं० 812/90 रकबा 0.0155 किश्म गै०मु० गै०मु० रास्ता में से 0.0155 है0 रकबे पर भौमसिंह, देवीराम, रामकिशन पुत्र मवासी जाति माली निवासी मुण्डपुरी खुर्द तहसील गोविन्दगढ ने अतिक्रमण कर कूडी, गोबर व लकडिया एकत्र कर ली है। जिसकी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिर्पोट पटवारी रामबास ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा आलोच्य निर्णय पारित करते हुये अपीलाण्ट के खिलाफ शरह लगान 10 पैसे के 50 गुणा शास्ति राशि 5/–रू० आरोपित कर मौके से बेदखल करने के गलत व बेजा तौर पर आदेश किया गया है। जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही हैं जो निम्न आधार पर स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है।

अपीलाण्ट को विधिवत तरीके से नोटिस नही दिये गये व अपीलाण्ट संख्या 2 को दिंनाक 20.03.2024 का नोटिस तारीख पेशी 27. 03.2024 को उपस्थित होने बावत दिया गया जबकि तहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रकरण में तारीख पेशी 27.03.2024 कभी भी नियत नहीं रही है। इस प्रकार बिना जानकारी के और बिना सुनवाई का अवसर दिये और प्रोपर तरीके से नोटिस की तामिल कराये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं जो मोके व कब्जे के खिलाफ विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है पटवारी हलका ने गलत तथ्यो के आधार पर रिर्पोट तहत अदालत में पेश की हैं व निर्णय से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया हैं जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के खिलाफ निरस्त होने योग्य हैं तो तहत अदालत के आदेशिका दिनांक 26.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि "आज पत्रावली पेश। गैर सायल रामकिशन व भौमसिंह उपस्थित गैर सायलान ने पत्रावली, नकल व जवाब के लिए समय चाहा समय दिया जाकर पत्रावली दिंनाक 15.04.2024 को पेश है।" न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ अलवर के यहाँ एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/4/2022 बअनुवान प्रीतम वगैरा बनाम भेमसिंह वगैरा लम्बित था। उक्त प्रकरण में दिनाक 27.12.2023 को न्यायालय उपखंड अधिकारी गाविन्दगढ द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहाँ पेश की गई है। जो अपील दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो चुके है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 23.07.2024 की नियत है। उक्त निर्णय दिंनाक 27.12.2023 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अपील की गई हैं जो लम्बित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोण्डेन्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना बिना सुनवाई किये कर दी गई है। और अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें अपीलाण्ट को दिंनाक 26.03.2024 को वास्ते सुनवाई तारीख पेशी दिंनाक 15.04.2024 दी गई अपीलाण्ट जब दिंनाक 15.04. 2024 को तहत अदालत में उपस्थित हुआ तो रेस्पोण्डेन्ट द्वारा यह कह दिया गया कि अन्य किसी की कोई तामील नही होगी ओर कोई जवाब नही शामिल किया जायेगा और ना ही अन्य पक्षकार की तामील कराई जायेगी, ना ही कोई नकल दी जायेगी और प्रकरण का फैसला आज ही किया जायेगा तथा अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी भी नही दी गई। जिससे अपीलाण्ट को अंदेशा था कि पीठासीन अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य कर अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात करने पर उतारू है। ओर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी न्यायिक पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए पत्रावली में कानूनी प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर कार्यवाही व सुनवाई की जा रही थी जिस बाबत अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसकी जानकारी रेस्पोण्डेन्ट को होने पर आलोच्य निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर दिया गया जो काबिल खारिज और निरस्त किये जाने योग्य है।

आलोच्य निर्णय करने से पूर्व तहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और ना ही पटवारी हलका से जिरह हेतु अवसर दिया गया। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना हुई है। जिससे भी तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अदालत ने आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा नाही मौके की रिर्पोट तलब की और महज पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट की आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो निरस्त होने योग्य है। तहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि में गलत तरीके से रास्ता कायम करते हुए बेदखली का आदेश किया गया हैं जो गलत हैं क्योकि अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी पर अपीलाण्ट के प्रेत बाबा का चबूतरा बना हुआ हैं ओर पिछले हिस्से पर पुरानी बाउण्ड्री की हुई हैं ओर पशुओ का बाडा और ईधन आदि रखा हुआ हैं और उक्त स्थान पर पुराना कोई रास्ता कायम नहीं है। अन्य उज्रात अपील बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनाक 15.04.2024 तहसीलदार गोविन्दगढ अलवर बसिलसिले प्रकरण संख्या 06/2024 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्डानुसार भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, जो राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2024 प्रकरण संख्या 06/2024 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर